International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(III), January - March, 2023, pp. 49-54

गाँधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त से प्रेरित भूदान एवं ग्रामदान आन्दोलन एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता

डॉ. बद्रीनारायन जाट*

सार

ट्रस्टीशिप महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक सामाजिक और आर्थिक अवधारणा है। इसका सामान्य अर्थ है एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा अमीर लोग ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे और जन–कल्याण के कार्य करेंगे। गांधी का विचार था कि अमीर लोग नैतिक रूप से अपनी सम्पत्ति को गरीब लोगों के साथ साझा करना चाहिए। ट्रस्टीशिप समाज की वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को एक समतावादी व्यवस्था में बदलने का एक साधन प्रदान करती है। गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त से ही विनोबा भावे का भूदान और ग्रामदान आन्दोलन प्रेरित है। गांधी के आर्थिक विचारों का मूल उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा करना है, न कि भौतिक समृद्धि। उनका उद्देश्य मानव और सामाजिक मूल्यों के लिए सम्मान के साथ उच्च जीवन स्तर के बजाय मानव जीवन का विकास, उत्थान और संवर्धन करना था। अतः वर्तमान समय में फैल रही आर्थिक विषमता को ट्रस्टीशिप सिद्धान्त की प्रेरणा से ही रोका जा सकता है।

शब्दकोशः *आर्थिक अवधारणा, समतावादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, भौतिक समृद्धि, भूदान और ग्रामदान आन्दोलन।*

प्रस्तावना

गाँधी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त विकेन्द्रीकरण पर आधारित है, यह सिद्धान्त समाज में आर्थिक समानता पर बल देता है। गाँधी ट्रस्टीशिप के माध्यम से आर्थिक विषमता को समाप्त करना चाहते थे। ट्रस्टीशिप का सामान्य अर्थ है कि कोई सम्पत्ति जो किसी के स्वामित्व में है, वह दूसरे के नियन्त्रण में उसकी मर्जी से उसके लाभकारी उपयोग के लिए दी जाती है।[1]

गाँधी ने अपरिग्रह की भावना को ट्रस्टीशिप के द्वारा एक सम्पूर्ण रूप प्रदान किया। गाँधी ने अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार किया है कि गीता के अध्ययन में उनके ट्रस्टीशिप के विचार पूर्णतः समायोजित है और इसे उन्होंने अपरिग्रही जीवन बिता कर पूर्णतः स्पष्ट भी किया एवं इसे एक ठोस उपकरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया।[2]

इस प्रकार ट्रस्टीशिप कोई खोखला खब्द नहीं है। भू–दान और ग्रामदान की संकल्पना में भी यह निहित है। विनोबा जी ने तो कहा है कि ग्राम–समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति गाँव का एक ट्रस्टी है, जो ट्रस्टीशिप की परिभाषा को सार्थक बनाता है।[3] ट्रस्टीशिप की भावना कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि यह समकालीन आर्थिक संकट का एक सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक विकल्प है जिससे भारतीय ग्रामीण समाज का वास्तविक विकास हो सकता है।

महात्मा गाँधी ने अपने समय के सात लाख गाँवों की अर्थ–रचना को सामने रखते हुए स्पष्ट चेतावनी दी थी ''यदि ग्रामोद्योगों का लोप हो गया तो भारत के सात लाख गांवों का सर्वनाश हो गया समझिए।'' वह तो ढाँचागत निर्माण हेतु गाँव के पाँच किलोमीटर के भीतर उपलब्ध सामग्री का ही उपभोग करने की मंजूरी देते थे। गाँधी इसे ग्रामोद्योग की समृद्धि हेतु जरुरी शर्त के रूप में देखते थे। अतः गाँधी के अनुसार गांवों का विकास गाँव द्वारा भी हो सकता है।

---

* सहायक आचार्य (विद्या संबल योजना), राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिरोही, राजस्थान।

वर्तमान समय में मुख्यतः उद्योगों की स्थापना शहरों के आस–पास ही होता है जो सही नहीं है। गाँवों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में ही उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए ताकि गाँधी के विकेन्द्रीकरण का सपना पूरा हो सके।

पूंजीवाद के बाद भूमण्डलीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के विकास ने मनुष्य की जीवन–चर्या के साथ दो स्थितियाँ पैदा कर दी है : एक है – विस्थापन प्रकृति वाला असन्तुलित विकास। दूसरा है – स्थानान्तरण प्रकृति वाला असन्तुलित विकास।[4] वर्तमान आधुनिकीकरण, गाँधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के विपरीत है। आधुनिक आधुनिकीकरण स्वःकेन्द्रित है, जबकि गाँधी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त विकेन्द्रित है।

आज हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। पुराने मूल्य, पुरानी प्रतिष्ठाएं, जीर्ण होकर ढह रही हैं। नये मूल्य और नयी प्रतिष्ठाओं की स्थापना करनी है। वैश्वीकरण के नये युग में मूल्य परिवर्तन की सिद्धि हम में से हर एक रचनात्मक कार्यकर्ता पर निर्भर है। इसके लिए शायद अनेक व्यक्तियों को आत्माहुति देनी पड़ेगी। इससे जीवन अधिक प्राणवान बनेगा और नये समाज का निर्माण हो सकेगा। परिस्थिति जितनी प्रतिकूल होगी, पराक्रम के लिए उतना ही अधिक अवसर होता है, यही गाँधी विचार का अन्तिम सत्य है। अतः गाँवों को विकास की परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर विकास की योजनाएं बनानी होगी।

गाँधी के अनुसार आजादी एक राजनीतिक बात है। गाँधी स्वराज की बात कर रहे थे और स्वराज का मतलब ये कि इस देश का हर एक आदमी अपने जीवन के लिए किसी और पर निर्भर न रहे, उसका अपने ऊपर राज हो। जो आदमी बाहर की जितनी चीजों पर जितना कम आश्रित होगा, जितना कम आधारित होगा, उतना ही वो ज्यादा स्वतन्त्र और उतना ही वो ज्यादा स्वराज वाला आदमी होगा।[5] इस प्रकार गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की बहुत आवश्यकता है।

गाँधी ने 1945 में जवाहर लाल नेहरु को एक पत्र लिखा कि ''मेरे आदर्श गाँव में बुद्धिमान व्यक्ति होंगे।[6] वह पशुओं की तरह गन्दगी और अँधेरे में नहीं रहेंगे। पुरुष व महिलाएं स्वतंत्र होगी और वह दुनिया में किसी के विरूद्ध भी निजित्व कायम नहीं रखेंगे।[7] वास्तव में जन आधारित विकास में गाँव का शहरों द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए, जैसा कि आज हो रहा है बल्कि कृषि और उद्योग तथा गाँव और शहर में पूरा समन्वय होना चाहिए।

भारत गाँवों में रहता है। जब तक हम उनका सुधार, पुनः निर्माण और विकास नहीं करेंगे, देश का विकास नहीं हो सकता। गाँधी ने कहा था कि यदि भारत को विनाश से बचाना है तो सबसे नीचे (गाँवों) से विकास की शुरूआत करनी होगी। गाँधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त आय–स्तर में भयंकर विसंगतियों को देखकर ही दिया था। विनोबा ने भूदान आन्दोलन के द्वारा इसका सफल प्रयोग कर एक आदर्श भी हमारे सामने रख दिया है।

भूदान

गाँधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त से प्रेरित भूदान आन्दोलन का जन्म हुआ है तथा उनकी इन उक्तियों में भी अन्तर्मूर्त मालूम पड़ता है कि सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है जो हमें यह सिखा गये हैं कि 'सबे भूमि गोपाल की' इसमें कहीं भी मेरी और तेरी की भावनाएं व सीमाएं नहीं है। भूदान आन्दोलन सन्त विनोबा भावे द्वारा सन् 1951 में आरम्भ किया गया था। विनोबा भावे को 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में जमीन का पहला दान मिला था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आन्दोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। यह रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। विनोबा भावे भू–स्वामियों से अपनी जमीन का कम–से–कम छठा हिस्सा भूदान देने का अनुरोध करते थे। शुरूआत में भावे ने तेलंगाना क्षेत्र के लगभग 200 गांवों की यात्राएं की और उन्हें करीब 12,200 एकड़ भूमि दान में मिली। मार्च 1956 तक दान के रूप में 40 लाख एकड़ भूमि मिल चुकी थी। 1955 में भू–दान आन्दोलन का स्वरूप 'ग्रामदान' में बदलने लगा। इसकी शुरुआत उड़ीसा से हुई। 1960 तक देश में 4,500 गावों का ग्रामदान हो चुका था। यह आन्दोलन 13 सालों तक चला। जिसमें विनोबा जी ने देश में 58,741 किलोमीटर सफर किया और लगभग 44 लाख एकड़ भूमि दान में दिलवाई। विनोबा भावे के इस आन्दोलन की विश्वभर में काफी प्रशंसा की गई। इस महान कार्य के लिए विनोबा भावे की 1958 में 'अन्तर्राष्ट्रीय रमन मेग्सेसे पुरस्कार' मिला और मरणोपरांत 1983 में

'भारत रत्न' मिला। ये मेरी–तेरी की सीमाएँ तो व्यक्तियों ने बनाई हैं और इसलिए वे इन्हें तोड़ भी सकते हैं। गोपाल अर्थात ईश्वर। आधुनिक भाषा में गोपाल अर्थात राज्य या जनता। आज जमीन जनता की नहीं। यह बात सही है, लेकिन इसमें दोष उन सिखाने वालों का नहीं है। दोष तो हमारा है जिन्होंने उस शिक्षा के अनुसार आचरण नहीं किया। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस आदर्श के जिस हद तक रुस या और कोई देश पहुँच सकता है उसी हद तक हम भी पहुँच सकते हैं और वह भी हिंसा का आश्रय लिये बिना। विनोबा ने गाँधी की इन उक्तियों के आधार पर अपने भूदान यज्ञ के सिद्धान्त में भूमि के समान वितरण की समस्या का अहिंसक समाधान ढूँए निकाला है जो वास्तव में सत्याग्रह का ही अंग है और भारतीय गाँवों का सच्चा विकास भी इन्हीं में छिपा है।

भूदान यज्ञ के अन्तर्गत खेती करने की इच्छा रखने वाले भूमिहीन कृषकों के लिए भूमिदान मांगा जाता है। इसके पीछे मूल प्रेरणा भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रवृत्ति का उन्मूलन करना है तथा सभी व्यक्तियों में जमीन का समान वितरण करना है।

भारत गाँवों का देश है, और गाँवों का विकास मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। आज के समाज की आर्थिक, सामाजिक विषमता के मूल में यही अन्याय व्याप्त है। हम ने बल प्रयोग के आधार पर अथवा अपनी शक्ति के दुरुपयोग से कुछ मानव समुदायों को भूमि के अधिकार से वंचित कर दिया है। भूदान यज्ञ पाप के प्रायश्चित का एक सुअवसर देता है तथा इस अन्याय के प्रतिकार का एक अहिंसक तरीका है।[8] विनोबा के शब्दों में भूदान यज्ञ से बे–जमीनों को जमीन मिलती है, एक मसला हल होता है। इस काम का जितना महत्व है, उससे बहुत ज्यादा महत्त्व इस बात का है कि एक तरीका हाथ में आया। अहिंसा की शक्ति निर्माण करने की एक युक्ति हमारे हाथ लगीश।[9]

भूदान यज्ञ के पीछे दूसरी मूल दृष्टि यह है कि जमीन पाने का वही अधिकारी है जो उसे जोत सके, उससे कुछ उपार्जन कर सके। जो अपने हाथों खेती नहीं करता है उसे जमीन पाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।[10] ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भूखे और प्यासे को ही अन्न, जल प्राप्त करने का अधिकार है सन्तुष्ट व्यक्ति को नहीं। वेदों में कहा गया है कि पृथ्वी माता है और हम उसके पुत्र हैं। 'माता भूमिः पुत्रोहं पुथ्वीव्यां'। हमें उसकी सेवा करने का अधिकार है। उसकी मालकियत नहीं परन्तु वर्तमान समाज व्यवस्था में खेती करने वाले गरीबों के पास या तो जमीन नहीं है या है भी तो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त है। लेकिन जो व्यक्ति खेती करना तो क्या खेत पर जाना भी अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं उनके पास हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। यह ठीक है कि दूसरे की जमीन में भूमिहीन खेती करता है, परन्तु उससे उनमें वह कार्य–कुशलता नहीं आ पाती, जो अपनी जमीन में होती है। विनोबा कहते हैं कि भाड़े के मकान को कोई कितना सजा सकता है? विश्व के पैमाने पर भी वहां आस्ट्रेलिया, कनाड़ा और अमेरिका जैसे देशों में आबादी की तुलना में जमीन अधिक है वहां चीन तथा अन्य धनी आबादी वाले देशों में खेती करने के लिए बहुत कम जमीन प्राप्त है। अतः जहां पर अधिक जमीन वाले देशों में जमीन बेकार पड़ी रहती है। वहां दूसरे देशों में जीने के लिए तथा आवास के लिए भी जमीन नहीं है। विनोबा भूदान यज्ञ के द्वारा इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं।

भूदान को एक नैतिक एवं आध्यात्मिक दर्शन कहा जा सकता है। क्योंकि जो भी जमीन दाता है वह किसी दबाव में आकर दान न दे बल्कि स्वेच्छा से अपनी अन्तरात्मा से जमीन का दान दे। विनोबा सर्वस्व दान की बात करते हैं। वे कहते हैं कि माता–पिता के समान चिन्ता करने की उपमा मैं आप में लागू करना चाहता हूँ। जिस प्रेम से माता–पिता बच्चों के लिए काम करते हैं वे स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, शिक्षा दिलाते हैं, अपने बच्चों के लिए सर्वस्व त्याग करते हैं, वह शक्ति और वह प्रेम में आप लोगों से प्रकट कराना चाहता हूँ। विनोबा कहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप सब प्रकार के मतभेद भुलाकर दिल खोलकर दान दें ताकि भारतीय गाँवों का विकास हो सके। विनोबा के कथानुसार जिसको जमीन मिलेगी वह कोई मुफ्त में बैठकर खाने वाला नहीं होगा। वह जमीन पर मेहनत करेगा, अपना पसीना उसमें मिलायेगा तब वह अपनी रोटी खायेगा। मेहनत व परिश्रम करके जो खाता है उसका आनंद वही आदमी उठाता है। जो मेहनत करके नहीं खाता उसको पता ही नहीं होता कि यह आनंद कैसा होता है। विनोबा कहते हैं कि इसी परिश्रम को मैं हर व्यक्ति तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि समाज में वर्ग भेद, अमीरी–गरीबी, छुआछूत सरीखी की समस्याओं का निदान हो सके और गाँधी ने जिस रामराज्य की परिकल्पना की थी वो साकार हो सके।

विनोबा आगे कहते हैं कि गाँधीजी के बाद सर्वोदय के सिद्धान्त को मानने वाले हम कुछ लोगों ने समाज बनाया है, जिसमें कोई किसी से द्वेष नहीं रखता। सभी आपस में प्रेम से रहते हैं। कोई किसी का शोषण नहीं करता। उनका विश्वास है कि जैसे ही शोषण रहित समाज का निर्माण कर सकेंगे, हिन्दुस्तान के लोगों की प्रतिभा प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। इसीलिए हम सर्वोदय वालों ने निश्चय किया है कि यह समाज रचना हम बदल देंगे। मेरा इसमें विश्वास है वरना इस तरह जमीन मांगने की मेरी हिम्मत नहीं होती। विनोबा समाज में फैली अमीरी गरीबी की खाई को पाटना चाहते हैं। सभी को आबाद करना चाहते हैं ताकि कोई किसी का अतिक्रमण न करें सभी अपरिग्रह का पालन करे तो समाज सुखी व समृद्ध होगा। उनका पूर्ण विश्वास था कि रचनात्मक कार्य में सक्रिय भाग के लिए अहिंसक साधन अपनाना ही श्रेष्ठ है। ट्रस्टीशिप की प्रेरणा से ही गाँवों में भाई–चारा और समानता की स्थापना होगी तथा ग्राम आर्थिक रूप से सबल बन सकेंगे। 18 अप्रैल 1951 को विनोबा जी को पहला भूदान तेलंगाना में मिला। तेलंगाना में हरिजनों के पास भूमि नहीं थी। विनोबा ने उनकी समस्या को गहनता से सुना तथा इसके समाधान में जुट गये। विनोबा ने ग्रामवासियों से भूमिदान की बात कही ग्रामवासी ने बड़े ही उत्साह से एक सौ एकड़ जमीन विनोबा जी को दे दी। यही पहला भूमिदान था। हरिजनों को 80 एकड़ भूमि की जरूरत थी। विनोबा को सौ एकड़ मिली। तेलंगाना के हरिजनों की समस्या सुलझ गयी तथा इसी तरह से तो भारत की समस्या सुलझ सकती है, इससे देश में एकता, भ्रातृत्व व सहिष्णुता का विकास भी होगा। विनोबा जी को दो महीने में 12 हजार एकड़ जमीन वहां पर मिली।

तेलंगाना में जो भूदान मिला उसकी प्रेरणा से ही भूदान को आगे बढ़ाने का काम विनोबा ने शुरु किया। प्लानिंग कमीशन के सामने विनोबा के विचार रखने के लिए नेहरु ने विनोबा को निमंत्रण दिया। उसी समय विनोबा पैदल यात्रा पर निकल पड़े और दिल्ली तक पहुँचने में उन्हें दो महीने लगे इसमें उन्हें रास्ते में 18 हजार एकड़ जमीन मिली उन्होंने देखा कि अहिंसा का प्रवेश देने के लिए जनता उत्सुक थी।

विनोबा ने उत्तर प्रदेश में सर्वोदयी कार्यकर्ताओं की मांग पर उत्तर प्रदेश में व्यापक क्षेत्र में भूदान यज्ञ का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से पाँच लाख एकड़ जमीन का लक्ष्य रखा शीघ्र ही एक लाख एकड़ प्राप्त हो गयी। सेवापुरी के सर्वोदय सम्मेलन में सबने मिलकर सारे हिन्दुस्तान में अगले दो साल में कम से कम 25 लाख एकड़ जमीन प्राप्त करने का संकल्प किया। 25 लाख एकड़ से भारत की समस्या हल होने वाली नहीं थी। समस्या तो 5 करोड़ एकड़ से सुलझेगी लेकिन प्रथम किस्त में 25 लाख एकड़ लेते हैं तो अहिंसा का सन्देश पाँच लाख गाँवों तक पहुँचता है तो भूमि के न्यायोचित वितरण के लिए जरूरी हवा तैयार हो जायेगी, ऐसा विनोबा जी का विश्वास था।

विनोबा का विश्वास था कि यह ऐसा कार्यक्रम है जिस पर सभी पक्षों को समान भूमि पर काम करने का मौका मिलता है। सभी संस्थाएँ इस कार्यक्रम को अपनायेगी तो सत्य, अहिंसा शुद्धि व एकता को बल मिलेगा। वे कहते हैं कि इस भूदान से हमें आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा की प्रतिष्ठा करनी है। इससे तिहरा लाभ होगा – पहला भारतीय सभ्यता के अनुकूल है, दूसरा इसमें आर्थिक और सामाजिक क्रांति का बीज है और तीसरा इससे दुनिया में शांति स्थापना के लिए सहायता मिलेगी।[11] साथ ही भारतीय समाज में समानता की स्थापना भी होगी। इस प्रकार भूदान आन्दोलन का सूत्रपात तेलंगाना से होकर लगभग पाँच वर्ष तक विनोबा जी के सानिध्य में चला। इसमें मध्यप्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगला, आन्ध्र प्रदेश व समस्त भारत में 44 लाख एकड़ जमीन विनोबा जी को भूमिदान में मिली और गाँधी का रामराज्य की परिकल्पना वास्तविक रूप से उजागर होने लगी।

ग्राम दान

ग्रामदान, भूदान आन्दोलन से ही आरम्भ हुआ है भूदान आन्दोलन का पहला कदम था गांव में कोई भी भूमिहीन न रहे और उसका अन्तिम चरण है – गाँव में कोई भी भूमि मालिक न रहे। विनोबा कहते हैं कि हमें स्वामित्व छोड़कर सेवाकार्य स्वीकार करना चाहिए। हर एक को उसके पेट के लिए जरुरी अन्न मिलना उसका अधिकार है। मालकियत का अधिकार किसी को नहीं है। ग्रामदान की यह बात बड़ी क्रांतिकारी सिद्ध होने वाली है।'[12]

दूसरे शब्दों में यह राज्यमुक्त अंहिसक समाज की स्थापना की प्रथम इकाई है, तथा नये समाज के संगठन का नवीन विचार है। जिसमें शासन व्यवस्था की पूर्ण इकाई ग्राम को माना है, इसीलिए ग्राम दान को विनोबा एक समग्र विचार मानते हैं।

गाँधी के ट्रस्टीशिप की योजना में ग्रामदान एक है, तो दूसरी ओर सम्पूर्ण समाज के आत्मदर्शन का भाव है और दोनों मिलाकर ग्राम समाज के परिवारीकरण की योजना है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से दुःख से सहज भाव से समान हक समझकर हाथ बंटाता है। समग्र ग्रामदान के विचार में केवल जमीन के दान से काम नहीं चलता है। इसमें जमीन, शक्ति, बुद्धि और सम्पत्ति सभी का दान संगठित रूप से होता है। चूंकि ग्रामदान धर्म का विचार है अतः इसे सार्वभौम बनाने का प्रयास किया गया है। सामान्यतया दान की प्रक्रिया में एक दाता और दूसरा ग्रहणकर्ता होता है। परन्तु ग्राम दान में सभी व्यक्त दाता व ग्राहणकर्ता होते हैं। विनोबा की दृष्टि में समाज का कोई भी व्यक्ति नास्तिकदान नहीं है। सभी व्यक्ति आस्तिवान हैं। परन्तु सभी के पास समान वस्तु नहीं होती है। अतः सभी को अपनी–अपनी वस्तुओं का त्याग समाज के निमित्त करना ग्रामदान में आवश्यक माना गया है। विनोबा कहते हैं कि लोगों ने कल्पना कर रखी है कि समाज में कुछ आस्तिकमान है कुछ नास्तिकमान।श पर एक दिन मेरे ध्यान में आया कि इस दुनिया में कुल लोग आस्तिकमान हैं। परमेश्वर की कृपा से नास्तिकमान कोई नहीं है। किसी के पास भूमि है किसी के पास सम्पत्ति, किसी के पास प्रेम है। हर किसी के पास कोई ना कोई चीज पड़ी है लेकिन उस चीज का उपयोग वह सीमित रूप से करता है। ग्राम दान का अर्थ है कि उसके पास जो है वह समर्पित कर दे ग्राम को। नहीं तो यह होगा कि कुछ लोगों का धर्म है लेने का और कुछ का देने का। ऐसा नहीं हो सकता। धर्म वही है जो सब पर लागू होता है। जैसे सत्य धर्म है तो वह सब पर लागू होता है, करुणा धर्म है तो वह सब पर लागू होती है।श[13] विनोबा के अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अतः कोई भी व्यक्ति परमाणुओं की भांति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। अतः यह उसमें सामुदायिक भावना के विकास का एक प्रयास है।

ग्रामदान के द्वारा समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा मानव व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बीच सन्तुलन कायम करने का प्रयास किया जाता है। इन क्षेत्रों में संतुलन आने और वैमनस्य मिटने पर ही व्यक्ति आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है, इसीलिए ग्रामदान के द्वारा समाज की विभिन्न प्रकार की शक्तियों के बीच सन्तुलन स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में मूल्य परिवर्तन के द्वारा क्रांति लाना है।

ग्रामदान एक नैतिक विचार है। विनोबा का यह विश्वास है कि भूमि और सम्पत्ति की मालकियत समाप्त होते ही समाज में झगड़–फसाद, मामला–मुकदमा, चौरी–डकैती आदि बुरे आचरण समाप्त हो जायेंगे। ग्राम–दान एक मुक्ति का विचार है। विनोबा के अनुसार ''मैं'' और ''मेरा'' का भाव ही बन्धन का मूल है। व्यक्तिगत स्वामित्व के समाप्त होने से ''मैं'' और ''मेरा'' का भाव धीरे–धीरे समाप्त हो जाता है तथा हमारे लिए मुक्ति का रास्ता साफ हो जाता है। मैं सबका और सब मेरे यह बोध होगा तभी मुक्ति लाना होगा।श[14]

भूदान पदयात्रा के दौरान 1952 में विनोबा जी को पहला ग्रामदान उत्तर देश में मिला था मगरोठ। उसके बाद उड़ीसा के अन्दर विशराम पुर मिला तथा इसके साथ ही ग्रामदानों की वर्षा सी होने लगी। बिहार, तमिलनाडु, बंगाल, असम आदि राज्यों में अनेक ग्रामदान मिले। 30 जून, 1968 तक विनोबा जी को भारत वर्ष में 62,215 ग्राम ग्रामदान में मिले।

राजस्थान में ग्रामदान आन्दोलन को बढ़ावा दिया सबसे पहले श्री विनोबा जी ने राजस्थान में पहला ग्रामदान नागौर जिले के गोरावा गांव का 11 फरवरी 1955 को हुआ। जिले के भूदान संयोजक श्री बद्री प्रसाद स्वामी की प्रेरणा से इस ग्राम के लोगों ने अपनी सारी भूमि ग्रामदान में समर्पित कर दी। श्री गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में इस गांव की सारी भूमि का पुनर्वितरण परिवार के सदस्य की संख्या के आधार पर हुआ, परन्तु दुःख की बात है कि बाद में कुछ बाहर के लोगों के बहकावे में आने के कारण गाँव वालों की वह भावना कायम नहीं रही और ग्रामदान की गंगा उस गाँव में रुक गई परन्तु राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में बह निकली और 1957 में राजस्थान में ग्रामदानी गाँवों की संख्या 11 तक पहुँच गई इसके अतिरिक्त भूदान में प्राप्त जमीन के दो बड़े भागों में दो गाँव

गाँधीग्राम टोंक जिले में और भूदानपुरा बांसवाड़ा जिले में बसाये गये। इसके पश्चात् ग्रामदान आन्दोलन धीरे–धीरे व्यापक होने लगा। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अमीर अधिक अमीर बना है। गाँवों के कल्याण का एकमात्र रास्ता है गाँधी–विनोबा के मार्ग का अनुकरण कर ग्रामदान द्वारा ग्रामों को स्वावलम्बी बनाकर विकास के मार्ग पर अग्रसर किया जाए।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण के युग में यदि समाज में शांति और अहिंसा चाहिए तो गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बहुत आवश्यकता है। समाज में अभावग्रस्त जीवन जी रहे लोगों के विकास हेतु सरकार को एक ट्रस्टी की भूमिका अपनानी होगी। गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त से प्रेरित होकर विनोबा जी ने भू–दान एवं ग्राम–दान आन्दोलन चलाये थे यह भी भारतीय ग्रामीण विकास के लिए एक आदर्श रूप है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. तत्त्वमसि, महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2003.
2. भावे, विनोबा, सर्वोदय और साम्यवाद; वाराणसी : सर्व–सेवा–संघ, 1967.
3. भावे, विनोबा, विनोबा प्रवचन, सर्व–सेवा–संघ, वाराणसी, 1967, 30.10.1957.
4. शंकर दया, अन्तिम जन पत्रिका, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली, नवम्बर, 2014, पृ.सं.24, ISSN: 2276-1633
5. जोशी प्रभास, अंतिम जन पत्रिका, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली, जनवरी 2015, पृ.सं.14–15.
6. गंगराड़े के.डी., गाँधी जी के आदर्श और ग्रामीण विकास, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006, पृ.सं.11.
7. भण्डारी, चारु चन्द्र, भूदान यज्ञ क्या और क्यों, वाराणसी, सर्व सेवा संघ, 1956, पृ.1–3.
8. ढढ्ढ़ा सिद्धराज, भूदान में ग्रामदान, वाराणसी, सर्व सेवा संघ, 1957, पृ.8.
9. भण्डारी चारु चन्द्र, भूदान क्या और क्यों, वाराणसी, सर्व सेवा संघ, 1956, पृ.6.
10. भावे, विनोबा, भूदान यज्ञ, नई दिल्ली, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, 1956, पृ.34.
11. विनोबा, ग्रामदान, वाराणसी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 1968, पृ.11.
12. भण्डारी, चारु चन्द्र, ग्राम दान क्यों? वाराणसी, सर्व सेवा संघ, 1959, पृ.30.
13. विनोबा सुलभ ग्रामदान, वाराणसी, सर्व सेवा संघ, 1968, पृ.16.
14. भण्डारी, चारु चन्द्र, ग्राम दान क्यों? वाराणसी, सर्व सेवा संघ, 1956, पृ.24.

❖◆❖